JAMIA MILLIA ISLAMIA

(A Central University by an Act of Parliament) Maulana Mohammed Ali Jauhar Marg New Delhi-110025

Tel.

Fax

26984075, 26988044

26981717, 26985176 : 26980229, Grams: JAMIA

E-mail: Website:

ssajid@jmi.ac.in http//jmi.nic.in



Office of the Registrar

No. JMI/R.O./L&Ord./2013

NOTIFICATION

This is to notify for the information of all the concerned that the President of India in his capacity as the Visitor of Jamia Millia Islamia has been pleased to accord his assent for creation of three new Centres, namely, "Centre for Theoretical Physics", "India Arab Cultural Centre" and the "Centre for Culture, Media & Governance" and consequential amendments/additions to Clause 1 of Statute 22-A captioned "Centres", as conveyed by the Ministry of Human Resource Development, Deptt. of Higher Education vide their letter No.F.6-1/2010-Desk(U) dated 13th March, 2013.

The amended Clause (1) of Statute 22-A as approved would be read as shown in the Annexure.

(Prof. S. M. Sajid)

Copy for information & necessary action to:-

- The Secretary to the Govt. of India, MHRD, New Delhi
- The Secretary, University Grants Commission, New Delhi
- The Under Secretary, Ministry of HRD, (Deptt. of Higher Education), New Delhi
- All the Deans of Faculties of JMI
- 5. The Dean, Students' Welfare, JMI
- All the Heads of the Departments, JMI
- The Directors/Hony. Directors of the Centres, JMI
- The Controller of Examinations, JMI
- The Chairman, Ordinance Committee, JMI
- 10. The Hony. Director, FTK Centre for Information Technology, JMI With the request to incorporate in the appropriate place of the University's Statutes and also for display on the Jamia's Website.
- 11. The Finance Officer, JMI
- 12. The Dy. Registrar (Admn.), JMI He is requested to please get the correction incorporated in the printed copies of Jamia Act, Statutes available in his Branch.
- 13. The Dy. Registrar (HRD), JMI
- 14. The OSD (Establishment), JMI
- 15. The Development Officer, JMI
- 16. The Media Co-ordinator, JMI
- 17. The Hindi Officer, JMI With the request to pursue uploading on University's website and updating the amendment in the relevant Statute.
- 18. The Secretary to the Vice-Chancellor, JMI
- 19. The Asstt. Registrar (Legal & Ord.), JMI
- 20. The Asstt. Registrar (A&C), JMI
- 21. The P.A. to the Pro-Vice-Chancellor, JMI
- 22. The Asstt. Registrar, Registrar's Secretariat, JMI

Assistant Registrar (Legal & Ordinance)

Syst. Alest (website).

For noung action.

ANNEXURE

Amended Clause (1) of Statute 22-A captioned "Centres" as approved vide MHRD No.F.6-1/2010-Desk(U) dated March 13, 2013

- 1. Supplement to Statute 22, the University shall also have the following Centres, namely:
 - (i) Dr. Zakir Husain Institute of Islamic Studies;
 - (ii) FTK-Centre for Information Technology;
 - (iii) Maulana Mohammad Ali Jauhar Academy of International Studies;
 - (iv) Centre for Distance and Open Learning;
 - (v) Centre for Management Studies;
 - (vi) Nelson Mandela Centre for Peace & Conflict Resolution;
 - (vii) Centre for Jawaharlal Nehru Studies;
 - (viii) Centre for Comparative Religions and Civilization;
 - (ix) Centre for West Asian Studies;
 - (x) Dr. K.R. Narayanan Centre for Dalit and Minorities Studies;
 - (xi) Centre for Spanish & Latin American Studies;
 - (xii) Centre for Physiotherapy and Rehabilitation Sciences;
 - (xiii) Academy of Professional Development of Urdu Medium Teachers;
 - (xiv) Centre for North East Studies and Policy Research;
 - (xv) Centre for Nanoscience and Nanotechnology:
 - (xvi) Centre for Theoretical Physics;
 - (xvii) India Arab Cultural Centre;
 - (xviii) Centre for Culture, Media & Governance, AND
 - (xix) Such other Centre(s) as may be prescribed by these Statutes.
- Subject to the provisions of the Act and these Statutes, each Centre shall function under a Board of Management, the composition, powers and functions of which shall be as prescribed in the Ordinances of the respective Centres.
- 3. Each Centre shall have a Director, who shall be appointed in accordance with the provisions of the relevant Statute; and shall enjoy such powers and perform such functions as prescribed by the Ordinances.

JAMIA MILLIA ISLAMIA

(A Central University by an Act of Parliament) Maulana Mohammed Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025

जामिआ मिल्लिया इस्लामिया

(संसदीय अधिनियमानुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय) मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, नई दिल्ली-110025 टेली. : 26984075, 26988044

: 26985176, 26981717

फैक्स. : 26980229 ग्राम्स : जामिया

ई.मेल : ssajid@jmi.ac.in वेबसाइट : http//jmi.ac.in



प्छलडानिःइ. विसर्शिस्/ एल एंड ऑर्ड. / 2013

22 मार्च, 2013

अधिसूचना

सभी संबंधितों की सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि भारत के राष्ट्रपित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलाध्यक्ष की हैसियत से तीन नए केन्द्रों अर्थात् "सैद्धान्तिक मौतिक—विज्ञान केन्द्र", "भारत—अरब सांस्कृतिक केन्द्र" तथा "संस्कृति, मीडिया एवं गवर्ने स केन्द्र" के निर्माण के लिए अपनी सहमति प्रदान की है तथा इसके परिणामस्वरूप परिनियम 22—ए अनुशीर्षक "केन्द्र" के खंड 1 में किए गए संशोधनों/परिवर्धनों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने अपने पत्र सं. एफ.6—1/2010—डेस्क (यू), दिनाँक 13 मार्च, 2013 द्वारा सूचित किया है।

यथाअनुमोदित परिनियम 22-ए का संशोधित खंड (1) दिए गए अनुलग्नक के अनुसार मान्य होगा।

(प्रो० एस.एम.साजिद)

नसचिव

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि :

1. सचिव, भारत सरकार, मा.सं.वि.मं., नई दिल्ली

2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

- 3. अवर सचिव, मा.सं.वि. मंत्रालय, (उच्चतर शिक्षा विभाग), नई दिल्ली
- 4. जा.मि.इ. के सभी संकायाध्यक्ष
- 5. डीन, विद्यार्थी कल्याण, जा.मि.इ.
- 6. सभी विभागाध्यक्ष, जा.मि.इ
- 7. केन्द्रों के निदेशक / मानद निदेशक, जा.मि.इ.
- 8. परीक्षा नियंत्रक, जा.मि.इ.
- 9. अध्यक्ष, अध्यादेश समिति, जा.मि.इ.
- 10. मानद निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एफ.टी.के. केन्द्र, जा.मि.इ.—इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त को विश्वविद्यालय के परिनियम में उपयुक्त स्थान पर शामिल किया जाए तथा साथ ही जामिया की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए।
- 11. वित्त अधिकारी, जा.मि.इ.
- उप कुलसचिव (प्रशा.), जा.मि.इ.— आपसे अनुरोध है कि आप अपनी शाखा में उपलब्ध जामिया अधिनियम, परिनियमों की मुद्रित प्रतियों में कृपया संशोधन करवाएँ।
- 13. उप कुलसचिव (मा.सं.वि.), जा.मि.इ.
- 14. ओ.एस.डी. (स्थापना), जा.मि.इ.
- 15. विकास अधिकारी, जा.गि.इ.
- 16. मीडिया समन्ययक, जा.मि.इ.
- 17. हिन्दी अधिकारी, जा.मि.इ. इस अनुरोध के साथ कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोडिंग का अनुसरण किया जाए तथा संबंधित परिनियम में संशोधन को अपडेट किया जाए।
- 18. कुलपति के सचिव, जा.मि.इ.
- 19. सहायक कुलसचिव (विधि एवं अध्यादेश), जा.मि.इ.
- 20. सहायक कुलसचिव (ए एण्ड सी), जा.मि.इ.
- 21. निजी सहायक, सम-कुलपति, जा.मि.इ.
- 22. सहा. कुलसचिव, कुलसचिव सचिवालय, जा.मि.इ.
- 23. फाइल/फोल्डर

सहायक कुलसचिव (विधि एवं अध्यादेश)

मा.सं.वि.मं. सं. एफ.6–1/2010–डेस्क (यू) दिनाँक 13 मार्च, 2013 द्वारा यथाअनुमोदित परिनियम 22–ए अनुशीर्षक ''केन्द्र'' का संशोधित खंड (1)

1. परिनियम 22 के अनुपूरक में, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित केन्द्र भी होंगे, अर्थात् :

(i) डाँ० ज़ाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज;

(ii) एफ.टी.के.-सेन्टर फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी;

(iii) मौलाना मोहम्मद अली जौहर तीसरी दुनिया अध्ययन अकादमी ;

(iv) सेन्टर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग:

(v) प्रबंधन अध्ययन केन्द्र ;

(vi) नेल्सन मन्डेला सेन्टर फॉर पीस एंड कॉनिपलक्ट रिजॉल्यूशन;

(vii) सेन्टर फॉर जवाहर लाल नेहरू स्टडीज:

(viii) धर्म तथा सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन केन्द्र ;

(ix) पश्चिमी एशियाई अध्ययन केन्द्र:

(x) डॉ० के.आर. नारायणन सेन्टर फॉ दलित एंड माइनॉरिटीज स्टडीज;

(xi) सेन्टर फॉर स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज:

(xii) सेन्टर फॉर फिजियोथिरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंसेज ;

(xiii) व्यावसायिक विकास, उर्दू माध्यम शिक्षक केन्द्र;

- (xiv) उत्तर पूर्व अध्ययन एवं नीति अनुसंधान केन्द्र;
- (xv) अतिसूक्ष्म विज्ञान एवं अतिसूक्ष्म प्रौद्योगिकी ;

(xvi) सैद्धान्तिक भौतिक-विज्ञान केन्द्र;

(xvii) भारत-अरब सांस्कृतिक केन्द्र;

(xviii) संस्कृति, मीडिया एवं गवर्ने स केन्द्र; तथा

- (xix) ऐसे अन्य केन्द्र जो इन परिनियमों द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
- अधिनियम एवं इन परिनियमों के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक केन्द्र प्रबंधन बोर्ड के अंतर्गत कार्य करेगा, जिसकी संरचना, शक्तियाँ तथा कार्य संबंधित केन्द्रों के अध्यादेशों में यथानिर्धारित के अनुसार होंगे।
- 3. प्रत्येक केन्द्र का एक निदेशक होगा, जिसकी नियुक्ति संबंधित परिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी; तथा जो अध्योदशों द्वारा यथानिर्धारित शक्तियों का लाभ उठा पाएँगे तथा यथानिर्धारित कार्य करेंगे।